# न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

**पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.**

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 06/2024**

**प्रकरण दर्ज तिथि :– 30.07.2024**

**जीसीएमएस नम्बर :– 2024/213**

प्रार्थीगण

**कोमलकुमार टांक पुत्र मोहनलाल टॉक जाति कलाल निवासी बलुन्दा तहसील जैतारण**

अप्रार्थीगण

**तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय रायपुर**

**प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित : 1. श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

**–: निर्णय :–** **दिनांक : 05.12.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण आपके उपखण्ड में ग्राम बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू. अभि.नि.क्षैत्र बर तहसील रायपुर में स्थित खातेदारी की कृषि भूमि के खातेदार है एवं खसरा नंबर 442/1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में के रास्ते को हमारी जोत के उपयोग हेतु खुलवाने एवं विस्तारित करने के लिए धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की उपधारा (2) के तहत अनुज्ञा हेतु आवेदन किया हैं।

(अ) प्रार्थीगण के नाम,पता एवं आयु :– उपरोक्तानुसार

(बी.) 1.उस गांव एवं उपखण्ड का नाम जहॉ जो (कृषि भूमि) स्थित है :– ग्राम बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू.अभि.नि.क्षैत्र बर तहसील रायपुर में स्थित खातेदारी की कृषि भूमि के खातेदार है एवं खसरा नंबर 442/1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल हैं जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

(बी.) 2 खसरा नंबर व क्षैत्रफल :–

खसरा नंबर 442/1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल

(सी.) उस खातेदार का विवरण जिसकी जोत में से होकर रास्ता विस्तारित किया जाना वांछित है – (सी.)1 अप्रार्थीगण के नाम पता– उपरोक्तानुसार

(सी.) 2 उस गांव एवं उपखण्ड का नाम जहॉ अप्रार्थीगण की जोत ( कृषि भूमि) स्थित है ग्राम बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू.अभि.नि.क्षैत्र बर तहसील रायपुर

(सी 3) खसरा नम्बर 442/2159 रकबा 1.7321 किस्म गै. मु. पहाड स्थित हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी की सरहद मौजा ग्राम बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू.अभि.नि.क्षैत्र बर तहसील रायपुर में खसरा नंबर 442/1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि चली आ रही हैं। जमाबंदी व ट्रेस नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग समझा जावें। खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 442/1 में उपयोग हेतु आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 442/2159 में से जाने हेतु प्रार्थीगण का एकमात्र रास्ता हैं। प्रार्थी उक्त भूमि में आये रास्ते के खसरा नम्बर 442/2 गै.मु. रास्ता से कदमी समय से उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं अतः खसरा नम्बर 442/2159 किस्म गै. मु. में से रास्ता खुलवाने व विस्तार करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर की तलबी की गयी। अप्रार्थीगा की नोटिस तलबी की गई हैं। प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर से मौका जांच रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने या नही होने बाबत, सबसे नजदीकी रास्ते बाबत् प्रतिवेदन प्रेषित करने एंव रास्ता प्रदत करने हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/भूअ/24/2962 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार प्रार्थी खातेदार द्वारा ग्राम बिराटिया खुर्द के खातेदारी खसरा नम्बर 442/1 में आवागमन हेतु मुख्य रास्ता सिवाचक खसरा नम्बर 442/2 से होते हुए खसरा नम्बर 442/2159 में से रास्ता चाहा गया हैं। इस बाबत् तहसीलदार रायपुर रिपोर्ट अुनसार ग्राम बिराटिया खुर्द के खसरा नम्बर 442/2159 में से 14 मीटर लम्बाई तथा 9.15 मीटर चोडाई का कुल 128.10 वर्ग मीटर अर्थात् 0.01281 हैक्टैयर भूमि रास्ता दिया जाना उचित हैं। साथ ही उक्त भूमि की गणना तहसील राजस्व लेखाकार में जमा कराई जाने योग्य राशि की गणना अनुसार 9300 रू अक्षरे नौ हजार तीन सौ रूप्ये से रास्ते की भूमि सिवायचक होने से मद 0029 मे जमा करवाने ही रिपोर्ट सहित प्राप्त हुई हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वास्ते माफिक रिपोर्ट अनुसार रास्ते मे दर्ज होने वाली भूमि का प्रस्तावित मार्ग की गणना राशि नियमानुसार जमा करवाने हेतु सहमत हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाया जावे एव हम नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु सहमत है।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। बहस , मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। इसीलिए ग्राम बिराटिया खुर्द के खातेदारी खसरा नम्बर 442/1 में आवागमन हेतु मुख्य रास्ता सिवाचक खसरा नम्बर 442/2 से होते हुए खसरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नम्बर 442/2159 में से रास्ता चाहा गया हैं। इस बाबत् तहसीलदार रायपुर रिपोर्ट अुनसार ग्राम बिराटिया खुर्द के खसरा नम्बर 442/2159 में से 14 मीटर लम्बाई तथा 9.15 मीटर चोडाई का कुल 128.10 वर्ग मीटर अर्थात् 0.01281 हैक्टैयर भूमि रास्ता दिया जाना न्यायोचित हैं। अतः रास्ते की गणना राशि तहसीलदार रायपुर को जमा करवाने के बाद सावर्जनिक प्रयोजनार्थ हेतु नजरी नक्शा अनुसार गै. मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु हेतु ग्राम बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नम्बर 442/2159 में से 14 मीटर लम्बाई तथा 9.15 मीटर चोडाई का कुल 128.10 वर्ग मीटर अर्थात् 0.01281 हैक्टैयर भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ग्राम बिराटिया खुर्द के खसरा नम्बर 442/2159 में से 14 मीटर लम्बाई तथा 9.15 मीटर चोडाई का कुल 128.10 वर्ग मीटर अर्थात् 0.01281 हैक्टैयर भूमि मे से रकबा (संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार), सिवायचक भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक सिवाय चक गै. मु रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त संलग्न मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की भूमि की किस्म वर्तमान किस्म से गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर को साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त भूमि के रास्ते की गणना राशि 9300 रू अक्षरे नौ हजार तीन सौ रूपये प्रार्थी से प्राप्त करें एवं राशि प्राप्ति करने के बाद ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व रेकर्ड मे किया जावे। उक्त राशि को नियमानुसार मद में जमा करवायें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। उक्त रास्ता सावर्जनिक प्रयोजनार्थ होगा अर्थात् रास्ता आसपास के कृषको एंव राहगीरों के द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इस रास्ते के उपयोग हेतु किसी प्रकार से बाधित/अवरूद्व नही किया जा सकेगा। उक्त रास्ते पर किसी भी प्रार्थीगण द्वारा हक अधिकार नहीं जताया जायेगा। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(गुलाब सिंह वर्मा)
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)**

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)**